



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार – 249404

संख्या: 106/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 22 मई, 2024

### अंतिम रूप से अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021, के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान (Chemistry) विषय में विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन/वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	515580	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ प्रेषित अभिलेखों के क्रम में अभ्यर्थी परास्नातक INDUSTRIAL CHEMISTRY एवं पी.एच.डी. उपाधि ENGINEERING &amp; TECHNOLOGY विषय में धारित करता है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं पी0एच0डी0 में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है</p> <p>2. तदक्रम में अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
2.	515796	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ परास्नातक मैरिट प्रमाण पत्र, पी0एच0डी0 उपाधि एवं अंकतालिका संलग्न की गई है, परन्तु वांछित अवार्ड एवं विज्ञापन में उल्लिखित पी0एच0डी0 हेतु परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. तदक्रम में अभ्यर्थी रसायन विज्ञान विषय में GEN, GEN/UF श्रेणी के कट-ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विज्ञापन में उल्लिखित पी0एच0डी0 हेतु परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
3.	515843	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय में 05.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष की अंकतालिका संलग्न किया गया है।</p> <p>उक्त प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि में 59.94% को GDI (grace division improvement) सहित 60% मानते हुए प्रथम श्रेणी उल्लेखित अंक पत्र एवं डिग्री प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं क्योंकि विश्वविद्यालय 60% अंकों को आधार मानते हुए प्रथम श्रेणी प्रदान करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ प्रेषित स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शित अंकों का (तीनों वर्षों का) पूर्ण योग 1079 है जिसका प्रतिशत 59.9444 अंक हो रहा है जो 60 प्रतिशत से कम है। जबकि स्नातक अंकतालिका एवं उपाधि में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अंकित किया गया है। प्रश्नगत विषय में शार्टलिस्टिंग हेतु ए0पी0आई0 स्कोर के कट-ऑफ के आधार पर शार्टलिस्ट किया गया जिसमें ए0पी0आई0 के स्कोर के प्रतिशत को Round off के</p>

		<p>आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
4.	515969	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रेषित अदिनांकित दो प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय में दिनांक 04.12.2023 व 15.12.2023 को प्राप्त हुआ है में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी परास्नातक रसायन विज्ञान व पी0एच0डी0 कृषि रसायन (AGRICULTURAL CHEMICALS) विषय में धारित करती है जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 में इस विषय संयोजन का उल्लेख नहीं है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा परास्नातक व पी0एच0डी0 में धारित विषय विज्ञापित मूल विषय रसायन विज्ञान विषय से संबंधित/संगत/संबद्ध होने के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त पत्र सं0 6879 दिनांक 23.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि "स्नातकोत्तर में वांछित मूल विषय रसायन विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर धारित विषय रसायन विज्ञान है। परन्तु मूल विषय रसायन विज्ञान में NET/SLET/Ph.D. न होने के कारण साम्य नहीं पाया गया है। अतः असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में Ph.D. AGRICULTUREAL CHEMICALS में साम्यता नहीं होने के कारण उनको मान्य नहीं किया जा सकता है।"</p> <p>2. उच्च शिक्षा निदेशालय के उक्त पत्र के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा धारित पी0एच0डी0 AGRICULTUREAL CHEMICALS असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में साम्यता नहीं होने के कारण मा0 आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
5.	516062	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 06.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 08.12.2023 को प्राप्त हुआ है में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी परास्नातक रसायन विज्ञान व पी0एच0डी0 कृषि रसायन (AGRICULTURAL CHEMICALS) विषय में धारित करती है जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 में इस विषय संयोजन का उल्लेख नहीं है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा परास्नातक व पी0एच0डी0 में धारित विषय विज्ञापित मूल विषय रसायन विज्ञान विषय से संबंधित/संगत/संबद्ध होने के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त पत्र सं0 6879 दिनांक 23.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि "स्नातकोत्तर में वांछित मूल विषय रसायन विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर धारित विषय रसायन विज्ञान है। परन्तु मूल विषय रसायन विज्ञान में NET/SLET/Ph.D. न होने के कारण साम्य नहीं पाया गया है। अतः असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में Ph.D. AGRICULTUREAL CHEMICALS में साम्यता नहीं होने के कारण उनको मान्य नहीं किया जा सकता है।"</p> <p>उच्च शिक्षा निदेशालय के उक्त पत्र के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा धारित पी0एच0डी0 AGRICULTUREAL CHEMICALS असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में साम्यता नहीं होने के कारण मा0 आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>

6.	516077	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 11.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ परास्नातक, पी0एच0डी0 अंकतालिका तथा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा जारी EQUIVELENT CERTIFICATE संलग्न किया गया है जिसमें AGRICULTURAL CHEMICALS को ORGENIC CHEMISTRY के समतुल्य माना गया है।</p> <p>उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भी अपने अभिलेखों के साथ उक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था जिसका विषय-विशेषज्ञों से दिनांक 22.11.2023 को परीक्षण कराया गया है जिसमें विषय-विशेषज्ञों द्वारा AGRICULTURAL CHEMICALS विषय को विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय से भिन्न मानते हुए अनर्ह किया गया था तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं पी0एच0डी0 में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता न होने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
7.	516662	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ वांछित Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र तथा 23.07.2014, 31.03.2018 को जारी OBC प्रमाण पत्र जिसकी वैधता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 04.12.2021 से पहले समाप्त हो गई है तथा 02.05.2022 को निर्गत OBC प्रमाण पत्र जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का है संलग्न किया गया है।</p> <p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित विज्ञापन की शर्तानुसार विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
8.	520482	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 08.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 11.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ दिव्यांगजन प्रमाण पत्र तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 28.07.2023 को जारी आख्या संलग्न किया गया है जिसमें अभ्यर्थी को दिव्यांगता की ओ0ए0 एवं ओ0एल0 उपश्रेणी से आच्छादित होना दर्शाया गया है, जो कि बहुदिव्यांगता को दर्शाता है तथा विज्ञापन की शर्तानुसार दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत केवल OA (One Arm) का उल्लेख किया गया है।</p> <p>अतः प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापन के अनुसार दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत केवल OA (One Arm) श्रेणी का पद आरक्षित होने अर्थात् बहुदिव्यांगता श्रेणी हेतु आरक्षित पद उपलब्ध न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
9.	515690	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
10.	515725	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
11.	515754	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
12.	515794	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>





# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार – 249404

संख्या: 106/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 22 मई, 2024

### अंतिम रूप से अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021, के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान (Chemistry) विषय में विज्ञप्ति दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन/वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	515580	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ प्रेषित अभिलेखों के क्रम में अभ्यर्थी परास्नातक INDUSTRIAL CHEMISTRY एवं पी.एच.डी. उपाधि ENGINEERING &amp; TECHNOLOGY विषय में धारित करता है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं पी0एच0डी0 में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है</p> <p>2. तदक्रम में अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
2.	515796	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ परास्नातक मैरिट प्रमाण पत्र, पी0एच0डी0 उपाधि एवं अंकतालिका संलग्न की गई है, परन्तु वांछित अवार्ड एवं विज्ञापन में उल्लिखित पी0एच0डी0 हेतु परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. तदक्रम में अभ्यर्थी रसायन विज्ञान विषय में GEN, GEN/UF श्रेणी के कट-ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विज्ञापन में उल्लिखित पी0एच0डी0 हेतु परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
3.	515843	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय में 05.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष की अंकतालिका संलग्न किया गया है।</p> <p>उक्त प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि में 59.94% को GDI (grace division improvement) सहित 60% मानते हुए प्रथम श्रेणी उल्लेखित अंक पत्र एवं डिग्री प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं क्योंकि विश्वविद्यालय 60% अंकों को आधार मानते हुए प्रथम श्रेणी प्रदान करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ प्रेषित स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शित अंकों का (तीनों वर्षों का) पूर्ण योग 1079 है जिसका प्रतिशत 59.9444 अंक हो रहा है जो 60 प्रतिशत से कम है। जबकि स्नातक अंकतालिका एवं उपाधि में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अंकित किया गया है। प्रश्नगत विषय में शार्टलिस्टिंग हेतु ए0पी0आई0 स्कोर के कट-ऑफ के आधार पर शार्टलिस्ट किया गया जिसमें ए0पी0आई0 के स्कोर के प्रतिशत को Round off के</p>

		<p>आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
4.	515969	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रेषित अदिनांकित दो प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय में दिनांक 04.12.2023 व 15.12.2023 को प्राप्त हुआ है में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी परास्नातक रसायन विज्ञान व पी0एच0डी0 कृषि रसायन (AGRICULTURAL CHEMICALS) विषय में धारित करती है जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 में इस विषय संयोजन का उल्लेख नहीं है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा परास्नातक व पी0एच0डी0 में धारित विषय विज्ञापित मूल विषय रसायन विज्ञान विषय से संबंधित/संगत/संबद्ध होने के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त पत्र सं0 6879 दिनांक 23.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि "स्नातकोत्तर में वांछित मूल विषय रसायन विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर धारित विषय रसायन विज्ञान है। परन्तु मूल विषय रसायन विज्ञान में NET/SLET/Ph.D. न होने के कारण साम्य नहीं पाया गया है। अतः असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में Ph.D. AGRICULTUREAL CHEMICALS में साम्यता नहीं होने के कारण उनको मान्य नहीं किया जा सकता है।"</p> <p>2. उच्च शिक्षा निदेशालय के उक्त पत्र के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा धारित पी0एच0डी0 AGRICULTUREAL CHEMICALS असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में साम्यता नहीं होने के कारण मा0 आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
5.	516062	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 06.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 08.12.2023 को प्राप्त हुआ है में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी परास्नातक रसायन विज्ञान व पी0एच0डी0 कृषि रसायन (AGRICULTURAL CHEMICALS) विषय में धारित करती है जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 में इस विषय संयोजन का उल्लेख नहीं है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा परास्नातक व पी0एच0डी0 में धारित विषय विज्ञापित मूल विषय रसायन विज्ञान विषय से संबंधित/संगत/संबद्ध होने के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त पत्र सं0 6879 दिनांक 23.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि "स्नातकोत्तर में वांछित मूल विषय रसायन विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर धारित विषय रसायन विज्ञान है। परन्तु मूल विषय रसायन विज्ञान में NET/SLET/Ph.D. न होने के कारण साम्य नहीं पाया गया है। अतः असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में Ph.D. AGRICULTUREAL CHEMICALS में साम्यता नहीं होने के कारण उनको मान्य नहीं किया जा सकता है।"</p> <p>उच्च शिक्षा निदेशालय के उक्त पत्र के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा धारित पी0एच0डी0 AGRICULTUREAL CHEMICALS असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान पद हेतु शैक्षिक अर्हता के रूप में साम्यता नहीं होने के कारण मा0 आयोग द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>

6.	516077	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष अदिनांकित प्रत्यावेदन जो आयोग कार्यालय को दिनांक 11.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ परास्नातक, पी0एच0डी0 अंकतालिका तथा गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा जारी EQUIVELENT CERTIFICATE संलग्न किया गया है जिसमें AGRICULTURAL CHEMICALS को ORGENIC CHEMISTRY के समतुल्य माना गया है।</p> <p>उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भी अपने अभिलेखों के साथ उक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था जिसका विषय-विशेषज्ञों से दिनांक 22.11.2023 को परीक्षण कराया गया है जिसमें विषय-विशेषज्ञों द्वारा AGRICULTURAL CHEMICALS विषय को विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय से भिन्न मानते हुए अनर्ह किया गया था तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0 2652, दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित रसायन विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं पी0एच0डी0 में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता न होने के कारण अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
7.	516662	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ वांछित Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र तथा 23.07.2014, 31.03.2018 को जारी OBC प्रमाण पत्र जिसकी वैधता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 04.12.2021 से पहले समाप्त हो गई है तथा 02.05.2022 को निर्गत OBC प्रमाण पत्र जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का है संलग्न किया गया है।</p> <p>तदक्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित विज्ञापन की शर्तानुसार विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
8.	520482	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01.12.2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 08.12.2023 जो आयोग कार्यालय को दिनांक 11.12.2023 को प्राप्त हुआ है के साथ दिव्यांगजन प्रमाण पत्र तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 28.07.2023 को जारी आख्या संलग्न किया गया है जिसमें अभ्यर्थी को दिव्यांगता की ओ0ए0 एवं ओ0एल0 उपश्रेणी से आच्छादित होना दर्शाया गया है, जो कि बहुदिव्यांगता को दर्शाता है तथा विज्ञापन की शर्तानुसार दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत केवल OA (One Arm) का उल्लेख किया गया है।</p> <p>अतः प्रश्नगत पद हेतु विज्ञापन के अनुसार दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत केवल OA (One Arm) श्रेणी का पद आरक्षित होने अर्थात् बहुदिव्यांगता श्रेणी हेतु आरक्षित पद उपलब्ध न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
9.	515690	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
10.	515725	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
11.	515754	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>
12.	515794	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.12.2023 तक कोई प्रत्यावेदन/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।</p>

